


सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी के अन्तर्गत 17 श्रेणियों की सूचनाएं निम्नवत हैं-

1.	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;	विशेष जाँच मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के विरुद्ध होने वाली घटनाओं, दंगे तथा तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियों की तुरन्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात जाँच कराके पुलिस महानिदेशक, विशेष जाँच, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवगत कराने का कार्य किया जाता है। साथ ही प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सम्प्रदाय से सम्बन्धित घटनाओं का क्राईम एनलिसिस किया जाता है। जनता से प्राप्त होने वाली उपरोक्त मामलो पर शिकायतों के सम्बन्ध में शीघ्रता से जनपद स्तर पर जाँच कराकर कार्यवाही कराकर पीडितों को न्याय दिलाना तथा एस0सी0/एस0टी0 के पीडित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिलाना ताकि जनता को यह महसूस हो कि पुलिस तथा प्रशासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु जागरूक है। समाचार पत्रों में छपने वाली खबरों के आधार पर वास्तविक स्थिति का शीघ्रता से पता लगाने सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है ताकि वस्तु स्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा सके।
2.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;	शासनादेश संख्या यू0ओ0-429/8-1 दिनांक 28-12-1974 एवं शासनादेश संख्या यू0ओ0-98/6-4-91-150(6)-91(पुलिस-1) दिनांक 5-6-1991, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम -1989, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम -1995, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम -2016, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एवं पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार प्रदत्त शक्तियाँ।
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है;	इस संगठन द्वारा शासन के गृह विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के उत्पीड़न से संदर्भित जाँच का कार्य सीबीसीआईडी संगठन द्वारा अपनाई जाने वाले प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार किया जाता है। संगठन द्वारा कोई विवेचना स्वतः करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। विवेचना जनपदीय पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा विवेचक का पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है। विवेचना पूर्ण होने पर इस मुख्यालय में नियुक्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है तत्पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिदेशक, विशेष जाँच मुख्यालय, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किया जाता है। शासन से आख्या स्वीकृत होने के उपरान्त तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाती है। सीधे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर जनपद स्तर के अधिकारियों से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जाँच कराई जाती है।

4.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड;	<p>i) प्रदेश के विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति अधिकारियों/कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने हेतु अधिनियम/नियम को पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है।</p> <p>ii) जनपदीय विशेष जाँच प्रकोष्ठ कर्मियों को विशेष जाँच मुख्यालय द्वारा कार्यशाला का आयोजन कर उनकी समस्याओं से अवगत होकर उनके निराकरण का प्रयास किया जाता है तथा साथ-साथ उन्हें संवेदीकृत भी किया जाता है।</p> <p>iii) विशेष जाँच मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा जनपद भ्रमण के मध्य जनपद के अधिकारियों / कर्मचारियों को संवेदीकृत किया जाता है।</p> <p>iv) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 यथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अध्याय 4 'क' के द्वारा पीड़ितों और साक्षियों को दिये गये अधिकारों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समस्त जनपदों को कार्ययोजना जारी की गयी है।</p>
5.	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;	शासनादेश संख्या यू0ओ0-429/8-1 दिनांक 28-12-1974 एवं शासनादेश संख्या यू0ओ0-98/6-4-91-150(6)-91(पुलिस-1) दिनांक 5-6-1991, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम -1989, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम -1995, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम -2016, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एवं पुलिस अधिनियम 1861 के अनुसार प्रदत्त शक्तियाँ।
6.	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धरित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण;	इस संगठन द्वारा मुख्य रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न की जाँच/विवेचना के मध्य संकलित किए गये अभिलेखीय साक्ष्य आरोपियों एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त किया जाता है। इन अभिलेखों में जाँच/विवेचना में साक्ष्य के रूप में उत्पीड़न के क्रिया कलापों का विवरण रहता है जिसका सीधा सम्बन्ध विवेचना से होता है तथा एकत्र किए गये अभिलेखों का साक्ष्य के रूप में जनपदों द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है तथा इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के विरुद्ध होने वाली घटना का विवरण प्रदान करने से समाज तनाव पैदा हो सकता है। अतः मुख्यालय की पत्रावलियों को सार्वजनिक किया जाना समीचीन नहीं है।
7.	किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़ित पुरुष/महिला जो भी उपस्थित होकर जनपद स्तर से की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में या उत्पीड़न के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र विशेष जाँच मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ स्तर पर उपस्थित किसी भी अधिकारी से मिल कर दे सकते हैं जिसपर जनपदों के

	लिए विद्यमान है;	उच्चधिकारियों से नियमानुसार कार्यवाही की आख्या माँग कर मुख्यालय स्तर पर नियमों के अनुसार जनपदों से उचित कार्यवाही कराई जाती है तथा यदि पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच में लापरवाही बरती गयी है तो कार्यवाही उनके विरुद्ध कार्यवाही कराने का निर्णय तथ्यों के आधार पर लिया जाता है।												
8.	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण;	उपरोक्त प्रकरण में बिन्दु संख्या 7 में स्पष्ट किया गया है।												
9.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;	<p style="text-align: center;"><u>विशेष जाँच में नियुक्त अधिकारीगण के पदनाम व मोबाइल नम्बर</u></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>पुलिस महानिदेशक</td> <td>9454400115</td> </tr> <tr> <td>पुलिस उप-महानिरीक्षक</td> <td>9454400240</td> </tr> <tr> <td>पुलिस उप-महानिरीक्षक (मुख्यालय)</td> <td>9454400182</td> </tr> <tr> <td>पुलिस अधीक्षक</td> <td>9454401204</td> </tr> <tr> <td>अपर पुलिस अधीक्षक</td> <td>9454401808</td> </tr> <tr> <td>पुलिस उपाधीक्षक</td> <td>9454401810</td> </tr> </table>	पुलिस महानिदेशक	9454400115	पुलिस उप-महानिरीक्षक	9454400240	पुलिस उप-महानिरीक्षक (मुख्यालय)	9454400182	पुलिस अधीक्षक	9454401204	अपर पुलिस अधीक्षक	9454401808	पुलिस उपाधीक्षक	9454401810
पुलिस महानिदेशक	9454400115													
पुलिस उप-महानिरीक्षक	9454400240													
पुलिस उप-महानिरीक्षक (मुख्यालय)	9454400182													
पुलिस अधीक्षक	9454401204													
अपर पुलिस अधीक्षक	9454401808													
पुलिस उपाधीक्षक	9454401810													
10.	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो;	विशेष जाँच मुख्यालय, उ०प्र०, लखनऊ के अधिकारियों/कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक शासन द्वारा निर्धारित नियमों के आलोक के पद/सेवा के अनुसार प्रदान किया जाता है।												
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;	इस मुख्यालय को बजट पुलिस मुख्यालय के माध्यम से निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त होता है, उनके उपभोग एवं व्यय की समीक्षा पुलिस मुख्यालय और महालेखाकार कार्यालय की टीम द्वारा की जाती है। "2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें 090-सचिवालय-03-नागरिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु मशीनरी का सुदृढीकरण"												

12.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है;	शून्य
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;	शून्य
14.	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हो ;	शून्य
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यक्रम घंटे सम्मिलित है;	शून्य
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;	1. पुलिस उप-महानिरीक्षक, मुख्यालय - अपीलीय जन सूचना अधिकारी 2. अपर पुलिस अधीक्षक - जनसूचना अधिकारी (पद रिक्त होने पर पुलिस उपाधीक्षक) 3. पुलिस उपाधीक्षक - सहायक जनसूचना अधिकारी
17.	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए	शून्य


 जनसूचना अधिकारी
 मुख्यालय विशेष जाँच
 उ०प्र०, लखनऊ।